

23-9-21

(Kw)

पतावली पेश हुई) वकील महान्कारखाना वकील (पार्की)
स्वयं एवं प्रतिवादी गण अनुपाधित / न्यायालय समक्ष
में वकीलवादी व स्वयंवादी तथा वकील अपधी गणों
को बार बार आवाज लगाई गई। फिर भी
अधिकार पार्की व अपधी गण व पार्की स्वयं तथा
अपधी गण उपाधित नहीं हुए। अतः पार्की व
पार्की गण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 -
सी.पी.सी. के तहत कार्रवाई किया जाता है। आदेश -
कुल न्यायालय में सुनाया गया। पतावली -
केस नं. 10000/2021 से न्याय होकर
दाखिल दफ्तर हो। पीए

